

प्रेस नोट दिनांक 16.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त रमाकान्त गिरी को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोहंडौर पुलिस अभियुक्त को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसरामपुर में उसके घर के सामने परचून की दुकान (गुमटी) के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह म0उ0नि0 आरती पटेल, का0 मनीष कुमार यादव, रि0का0 शुभम यादव व रि0का0 संजीव कुमार मय चालक हे0का0 राधेकृष्ण का अजय गौड, रि0का0 अभिषेक पाण्डेय, म0रि0का0 संगीता पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त रमाकान्त गिरी पुत्र शोभनाथ गिरी निवासी ग्राम परसरामपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष को कुल 01 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा के साथ थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसरामपुर में अभियुक्त के घर के सामने परचून की दुकान (गुमटी) के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रमाकान्त गिरी के कब्जे से कुल 01 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 130/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रमाकान्त गिरी पुत्र शोभनाथ गिरी निवासी ग्राम परसरामपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष।

बरामदगी- कुल 01 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह म0उ0नि0 आरती पटेल, का0 मनीष कुमार यादव, रि0का0 शुभम यादव व रि0का0 संजीव कुमार मय चालक हे0का0 राधेकृष्ण का अजय गौड, रि0का0 अभिषेक पाण्डेय, म0रि0का0 संगीता पटेल थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रंजीत कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 राजेश पाल, रि0का0 राहुल कुमार व रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2) (M)/333/351 (3)/115 (2) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रंजीत कुमार विश्वकर्मा पुत्र राकेश कुमार विश्वकर्मा निवासी सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त रंजीत कुमार विश्वकर्मा ने पूछताछ में बताया वादिनी का घर मेरे घर के बगल में है तथा वह रिस्ते में मेरी चाची लगती है वादिनी का पति रोजी-रोटी के लिये जबलपुर मध्यप्रदेश में रहता है इसीलिए अगर कोई पड़ता था तो मैं वादिनी के घर आता जाता रहता था । माह अक्टूबर 2025 में उसके पति घर पर नहीं थे तथा वह घर में अकेली थी तब मैंने मौका पाकर दिन में ही वादिनी के कमरे में घुस गया तथा धमकी देते हुये उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाने के बाद उससे कहा था कि यदि यह बात किसी को बताओगी तो मैं तुमको जान से मार दूँगा जिसके बाद धमकी देकर मैंने कही बार वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जब वह कभी नहीं मानती थी तो मैं उससे कहता था कि मैं आत्म हत्या कर लेने का दबाव बनाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाता था । दिनांक 26.04.2026 को वादिनी अपने कमरे में अकेली थी तब मैं उसके कमरे में घुसकर जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा दबाव बनाकर मैंने उससे कई बार पैसे भी लिये लेकिन इस बार वादिनी ने कहा कि अगर फिर कभी ऐसा करोगे तो यह बात मैं अपने पति को बताऊँगी और प्रार्थना पत्र दूँगी इसलिए मैं डर कर घर से भाग गया था तथा छिप-छिप कर घर आता जाता रहता था जब मुझको जानकारी हुई कि वादिनी ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रंजीत कुमार विश्वकर्मा पुत्र राकेश कुमार विश्वकर्मा निवासी सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 राजेश पाल, रि0का0 राहुल कुमार व रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।